

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

पटना-15, दिनांक-11/12/18

विषय:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्कीम बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चकवात आदि, लघु शीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-39, उपशीर्ष -0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विपत्र कोड-39-2245020010101 में ₹18,88,000 (अठारह लाख अठासी हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2 यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 23/आ0प्र0 दिनांक-31.05.2018 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चकवात आदि, लघु शीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-39, उपशीर्ष -0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विपत्र कोड-39-2245020010101, विस्तृत शीर्ष 21 -सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष -01 सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुभीर्ष / उपभीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन
उपशीर्ष-0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था

मांग संख्या-39, विस्तृत शीर्ष 21 -सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष -01 सामग्री एवं पूर्तियाँ
(राशि रुपये में)

क्र0	जिला	वित्तीय वर्ष 18-19 का पूर्व आवंटन	वित्तीय वर्ष 18-19 का वर्तमान आवंटन	योग	अभ्युक्ति
1	बेगूसराय	0 (शून्य)	18,88,000 (अठारह लाख अठासी हजार रुपये)	18,88,000 (अठारह लाख अठासी हजार रुपये)	नाव क्रय बकाया भुगतान हेतु

5. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-675 दि0-26.10.2018 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को निदेशित किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने के पूर्व आपूर्ति किये गए सभी नावों का भौतिक सत्यापन वरीय पदाधिकारियों का टीम बनाकर करा लेंगे। साथ ही नावों के वास्तविक मूल्य से संतुष्ट होने के उपरान्त इस तथ्य से भी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि आपूर्ति किये गए सभी नाव निर्धारित विशिष्टियों / गुणवत्ता के अनुरूप हैं। क्रय किये गए सरकारी नाव के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था भी की जाय।

6 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। किसी भी स्थिति में राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

13. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ज्ञापांक-58/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-11/12/18
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-58/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-11/12/18
प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-58/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-11/12/18
प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक -58/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-11/12/18
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-58/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-11/12/18
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव